न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP–2002)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1167/2026
CNR No. UPGH010027372026

विनीत पाण्डेय उर्फ हनुमान जी उर्फ मान जी उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र अखिलेश पाण्डेय उर्फ बड़ड साकिन चांडीपुर, थाना करण्डा, जिला गाजीपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ.प्र. राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– सोनू पुत्र स्व० आस मुहम्मद निवासी ग्राम चाड़ीपुर, थाना करण्डा, जिला गाजीपुर।

–––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–32/2026
धारा–190, 191(2), 103(2), 352 भारतीय न्याय संहिता
थाना–करण्डा, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री विजय शंकर पाण्डेय, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

15–06–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त विनीत पाण्डेय उर्फ हनुमान जी उर्फ मान जी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–32/2026, धारा–190, 191(2), 103(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना करण्डा, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सोनू द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया कि दिनांक 08–03–2026 को समय सुबह 09:30 बजे के लगभग में पिता आसमुहम्मद घर में मौजूद थे। प्रार्थी के ग्राम के रहने वाले पिन्कल पाण्डेय, करिया राय, गोरे राय, अंग्रेज राय, मंटू राय और कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात प्रार्थी के दरवाजे पर आकर गाली गलौज देने लगे। जब प्रार्थी के पिता द्वारा मना किया तो पिन्कल पाण्डेय अपने असलहे से उसके पिता को गोली मार दिया। गोली लगने से उसके पिता जी जमीन पर गिर गये जिसको इलाज हेतु करण्डा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया जहाँ पर डा० ने जिला हास्पिटल रेफर कर दिया जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गयी। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण पिन्कल पाण्डेय, करिया राय, गोरे राय, अंग्रेज राय, ग्राम प्रधान मंटू राय और अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 190, 191(2), 103(2), 352 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 32/2026, थाना करण्डा, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त की मामले में संलिप्तता पाते हुए उसका चालान किया गया।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। सहअभियुक्त सूर्यांश पाण्डेय की जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का रोल सहअभियुक्त से भिन्न नहीं है। मृतक को एकमात्र आग्नेयास्त्र की चोट है

जो पिंकल पाण्डेय द्वारा कारित किया जाना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त को कोई विशिष्ट रोल नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12–03–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– इसके विपरीत विद्वान अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त की मामले में संलिप्तता पायी गया है जिसके बाबत स्पष्ट साक्ष्य दौरान विवेचना आये है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, पंचायतनामा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा के पिता की साजिश कर हत्या कारित करने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है, परन्तु घटना के चश्मदीद साक्षीगण सलमा, रीना, मैरून, खुशबून, रहीम, आसमां इन सभी ने अपने मजीद बयान में स्पष्ट कथन किया है कि मृतक आसमुहम्मद की हत्या पिन्कल पाण्डेय ने की है। पिन्कल पाण्डेय के साथ आवेदक/अभियुक्त विनीत पाण्डेय उर्फ हनुमान जी उर्फ मान जी व अंकित तिवारी उर्फ गोल्डेन तिवारी भी था और उन्हीं के ललकारने पर सहअभियुक्त पिकन्ल पाण्डेय ने मृतक आसमुहम्मद को गोली मार कर हत्या कारित किया है। इन सभी साक्षीगण के साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के ललकारने पर ही सहअभियुक्त पिन्कल पाण्डेय ने गोली मारकर मृतक आसमुहम्मद की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मृतक के बाँये छाती पर फायर आर्म्स की चोट पायी गयी है और उसी चोट के कारण मृतक आसमुहम्मद की हेमराजिक शॉक के कारण मृत्यु होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा एक गम्भीर अपराध कारित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अन्य जो तर्क लिये गये है, वे मामले के गुण–दोष से संबंधित है, जिनका निस्तारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

6– अतएव आवेदक/अभियुक्त विनीत पाण्डेय उर्फ हनुमान जी उर्फ मान जी के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 15–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर।
JO Code: UP 2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.15 19:35:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court